प्रेस नोट
दिनांक 19.10.2024
संपूर्ण समाधान दिवस
जनपद गोण्डा।

जिलाधिकारी गोण्डा व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील करनैलगंज में जनसमस्याओं को सुना गया एवं उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया–

आज दिनांक 19.10.2024 को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में करनैलगंज तहसील गोण्डा में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती नेहा शर्मा, पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल व राजस्व, पुलिस तथा अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान अधिकारीगण द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत–प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। अधिकारीगण द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के दिशा–निर्देशों से अधिकारी एवं कर्मचारीगणों को अवगत कराते हुये प्रार्थना–पत्रों की समयबद्ध जांच, कार्यवाही एवं समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी, उपजिलाधिकारी करनैलगंज, क्षेत्राधिकारी करनैलगंज सहित राजस्व व पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.10.2024

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–353/24 धारा 80(2),85 बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रमेश चौहान पुत्र सालिकराम चौहान निवासी ग्राम खड़ौवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को खड़ौवा तिराहे के पास से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 17.10.2024 को थाना मोतीगंज क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति जोगराम चौहान पुत्र मेवालाल चौहान द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि वादी की बहन की शादी रमेश चौहान के साथ 21 अगस्त 2024 को हुई थी। शादी के बाद से ही पति व जेठानी दहेज की मांग को लेकर मेरी बहन को मारते पीटते थे। प्रताड़ना से तंग आकर मेरी बहन पूजा ने दिनांक 11 अक्टूबर 2024 को फांसी लगाकर जान दे दी। वादी की तहरीर पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी तरबगंज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त रमेश चौहान पुत्र सालिकराम चौहान निवासी ग्राम खड़ौवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को नवाबगंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.10.2024 को खड़ौवा तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. रमेश चौहान पुत्र सालिकराम चौहान निवासी ग्राम खड़ौवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–353/24 धारा 80(2),85 बीएन0एस व 3/4 डीपी एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 शिव प्रकाश पाठक।
02. हे0का0 लक्ष्मीकान्त।

मीडिया सेल, गोण्डा।